



Neutral Citation No - 2026:AHC:55683

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 10161/2026

मीरा देवी

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 9 अन्य

..... प्रत्यर्थी

---

याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता : अखिलेश कुमार द्विवेदी, रमेश चंद्र त्रिपाठी

प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता, रामेश्वर प्रसाद शुक्ल

---

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में वाद संख्या 01480/2022 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या T202215510301480) होने के नाते, प्रत्यर्थी संख्या 3/सबडिवीजनल ऑफिसर, मधुबन जिला मऊ द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में दिनांक 29.01.2024 का आदेश पारित किया गया था। उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, निजी प्रत्यर्थीगण ने पुनरीक्षण संख्या 2131/2025 के रूप में पुनरीक्षण दायर किया था, जिसे प्रत्यर्थी संख्या 2/आयुक्त आजमगढ़ डिवीजन आजमगढ़ द्वारा दिनांक 07.01.2026 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। दिनांक 07.01.2026 के आदेश का कार्यकारी भाग इस प्रकार है:-

5- अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी पोषणीय नहीं पाये जाने के कारण ग्राह्यता स्तर पर ही निरस्त की जाती है। अवर न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि आदेश



दिनांक 29.01.2024 के अनुपालन में पुलिस बल की सहायता से 10 दिन में विपक्षी को कब्जा दिलाना सुनिश्चित करें। बाद आवश्यक कार्यवाही इस न्यायालय की पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त निर्देश के बावजूद, प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 29.01.2024 के आदेश का आज तक अनुपालन नहीं किया गया है।

3. इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा 2025 की रिट सी संख्या 35470 (मीना देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य) के नेतृत्व वाली रिट याचिकाओं के समूह में 18.12.2025 को निर्णय लिया गया है, जिसमें पैराग्राफ संख्या 44 से 46 में कुछ निर्देश दिए गए थे जो इस प्रकार हैं: -

"44. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 एसडीओ को सीमा विवादों के संक्षिप्त निस्तारण के लिए वैधानिक अर्ध-न्यायिक शक्तियां प्रदान करती है, साथ ही सीमांकन और कब्जे की बहाली के लिए अनिवार्य प्रवर्तन प्राधिकरण भी प्रदान करती है। निष्पादन विवेकाधीन नहीं है, बल्कि प्रावधान की प्रभावकारिता का अभिन्न अंग है, लागू करने में विफलता पूरे सारांश तंत्र को निरुत्साह प्रदान करती है और विधायी इरादे को नुकसान पहुंचाती है। तैयार किए गए व्यापक दिशानिर्देशों का उद्देश्य सांविधिक अधिदेशों को सुसंगत बनाने के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करना है (संहिता, 2006 की धारा 24; नियम, 2016 का नियम 22), कार्यकारी निर्देश (शासकीय आदेश दिनांक 16.12.2025), प्रशासनिक कानून सिद्धांत, और निष्पक्षता और सार्वजनिक व्यवस्था की संवैधानिक अनिवार्यताएं। संबंधित प्रत्यर्थी, विशेष रूप से उपखंडाधिकारी और जिलाधिकारी, यह सुनिश्चित करने के लिए कानून के अधीन हैं कि धारा 24 के तहत आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

45. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य, राज्य के भीतर सभी राजस्व प्राधिकरणों को उपरोक्त दिशा-निर्देशों का राज्यव्यापी परिचालन सुनिश्चित करेगा। अनिवार्य प्रशिक्षण और आरसीसीएमएस प्रोटोकॉल अनुपालन प्रदान करने के लिए एक तंत्र भी सुनिश्चित किया जा सकता है।

46. प्रत्यर्थीगण, विशेष रूप से संबंधित उपखंडाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर, अनुमोदित साइट मेमो/सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार, रिट याचिका के तत्काल बैच में सभी विषय आदेशों को निष्पादित करें, जहां भी



आवश्यक हो, सीमा चिहनों का निर्धारण सुनिश्चित करें और कब्जे की बहाली भी सुनिश्चित करें।

"

4. इस मामले को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है जिसमें संबंधित उप-संभागीय मजिस्ट्रेट को कानून के अनुसार 29.01.2024 के आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया जाता है, साथ ही मीना देवी (सुप्रा) के वाद में की गई टिप्पणियों का भी पालन करने का निर्देश दिया जाता है, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

18 मार्च, 2026

सकलेन